नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक 161088

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 8148 दिनांक 01/12/2017

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 2218 पत्रावली संख्या 1–135845 दिनांक 2002-2003

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि रामेश्वरम एजुकेशनल सोसाइटी, गोविन्दपुरम निकट सेवा अस्पताल सीतापुर रोड, लखनऊ।
.....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 1768 दिनांक 27-08-2002 को दिनांक 27-08-2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 23-09-2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सी0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी0 / आफसेट)।

Rameshwaram Educational Society Secretary Lucknow

Scanned by CamScanner

संशोधित स्मृति पत्र

1 संस्था का नाम — रामेश्वरम एजूकेशनल सोसाइटी

2 संस्था का पता — गोविन्दपुरम, निकट सेवा अस्पताल, सीतापुर रोड लखनऊ

3 संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण भारत

4 संस्था का उद्देश्य —

1. रामेश्वरम एजूकेशनल सोसाइटी का उददेश्य एकेडेमिक, प्रोफेशनल, टेकनिकल शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण, प्रशिक्षण आदि को प्रोत्साहन देना और शिक्षा के क्षेत्र में हर सम्भव विकास करना।
2. समाज के निर्धन व असहाय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्हें सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, कम्प्यूटर, टाईपिंग, शार्टहैण्ड व तकनीकी व गैर तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने का निरन्तर प्रयास करना।
3. जन सामान्य के सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, कलात्मक एवं आध्यत्मिक विकास हेतु कार्य करना तथा उनको सुयोग्य नागरिक बनाने का प्रयास करना।
4. ग्राम्य विकास हेतु पौधशाला संचालित कर ऊसर भूमि सुधार, परती भूमि नहर, नदियां आदि के किनारे पर वृक्षारोपण करना एवं उन्नतिशील बीजों का विकास सम्बन्धी जानकारी देना।
5. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, रैली एवं विभिन्न तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
6. साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करना।
7. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के विकास हेतु उनकी शिक्षा–दीक्षा व आवास की व्यवस्था करना।
8. सामाज के निराश्रित, मूक वाधिर एवं विकलांग लोगो के लिए हर सम्भव सहायता करना।
9. समाजोत्थान के लिए शोषणहीन एवं वर्गहीन समाज का निर्माण करना।
10. अराजनैतिक ढंग से दहेज प्रथा व सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना तथा स्वच्छ समाज का निर्माण करना एवं मानव कल्याणकारी कार्यो में सहयोग करना।
11. दैवीय आपदा व विपदा में व्यक्ति व समाज की अव्यवस्था सामान्य करने में हर सम्भव प्रयास करना तथा सहायता करना।
12. शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द, अनाथालय की स्थापना कराना तथा समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था करना।
13. समाज सेवा व मानव कल्याण अथवा मानव संसाधनों के विकास में लगी हुई संस्थाओं, नागरिकों, प्रतिष्ठानों आदि को उस कार्य में हर प्रकार का सम्भव सहयोग करना व सहायता लेना, एवं आवश्यकता पड़ने पर संस्था की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानो से सहायता प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

Rameshwaram Educational Society
Secretary
Lucknow

Scanned by CamScanner

14 ग्रामीण अंचलों में पेड़ पौधों को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना व पशुओं तथा पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हेतु प्रशिक्षण देना।

15 विकलांग लोगों के उत्थान के लिए उनके जीवन निर्वाह व स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र, स्कूल आवास आदि की व्यवस्था देकर उनका सामजिक, आर्थिक, वैद्धिक, नैतिक एवं चारित्रिक तथा सांस्कृतिक विकास करके उन्हें हर प्रकार से सक्षम व योग्य बनाकर उन्हें राष्ट्रीय विकास की धारा से जोड़कर राष्ट्र के प्रति उनकी उपयोगिता प्रमाणित करना, जिससे समाज में वे आत्महीन से मुक्त होकर स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर सकें।

16 समाज कल्याण विभाग एवं केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), मानव संसाधन, विकास मंत्रालय दिल्ली, वेस्टलैंड विभाग, पर्यावरण विभाग, प्रौढ़ शिक्षा, निदेशालय, सिफसा, सूडा, नाबार्ड, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के अन्य विभागों तथा अनुभागों द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण योजनाओं में हर सम्भव सहायोग करना तथा उन विभागों के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी, महिला शिल्प कला केन्द्र, श्रमजीवी महिला छात्रावास, व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, स्कूल, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए देश/विदेश में सेमिनार आयोजित करना तथा अन्य हर प्रकार की इकाईयों की स्थापना करके मानव कल्याणकारी कार्यों को करना तथा समाज का उत्थान करना।

17 भारतीय संस्कृति के आधार पर विश्वबन्धुत्व की भावना का विकास करने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना, प्रगतिशील व्यक्तित्व निर्माण करना, मानव मूल्यों का मूलभूत ज्ञान देकर जनहित का कार्य करना तथा विकास करना एवं लोक कल्याण हित सतत् प्रयत्नशील रहना।

18 समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श व प्रगतिशील कार्य करने वाले महिला, पुरूषों व बच्चों का चुनाव करके उन्हें पुरस्कार व प्रमाण–पत्र आदि देकर सम्मानित करना जिससे समाज को नैतिकता के प्रति प्रेरणा मिल सके तथा समाज का नैतिक उत्थान हो।

19 दलित व शोषित वर्ग के लोगों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्तर को ऊंचा करने के लिए आवासीय विद्यालयों, ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना तथा इन केन्द्रों के माध्यम से उन्हें सहयोग देकर उनका विकास करना।

20 जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद को समाप्त करने हेतु कार्य करना, इसके लिए सामज को प्रेरित करना तथा इस कार्य हेतु सरकार को सहयोग देना।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
[illegible]

Rameshwaram Educational Society
Secretary
Lucknow

Scanned by CamScanner

21 राष्ट्र के विकास हेतु संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शासन की अनुमति लेकर विभिन्न स्थानों पर नर्सिंग स्कूल, डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज, विभिन्न विषयों का रिसर्च सेन्टर, फार्मेसी कालेज, इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी, मैनेजमेन्ट स्कूल, आई0टी0 आदि आवश्यक शैक्षिक एवं शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना करके सीधे संस्था के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अथवा उसके संचालन हेतु आवश्यकतानुसार उपसमितियां बनाकर उसके द्वारा उन केन्द्रों का संचालन करके सम्पूर्ण समाज का उत्थान करना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
04.06.07

Rameshwaram Educational Society
Secretary
Lucknow

Scanned by CamScanner

5. संस्था के प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के स्मृति–पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है–

क्र०	नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री आर०पी० शुक्ला	श्री रामेश्वरप्रसाद शुक्ला	536 / 265–क, मदेहगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ	अध्यक्ष	वकालत
2.	श्री टी०पी० शुक्ला	स्व० श्री रामनायक शुक्ला	74, ट्रांस गोमतीनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ	उपाध्यक्ष	वकालत
3.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद शुक्ल	श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ल	536 / 265–क, मदेहगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ	मंत्री	व्यापार
4.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ला	श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला	536 / 265–क, मदेहगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5.	डा० गिरीश चन्द्र पाण्डेय	श्री दयाशंकर पाण्डेय	536 / 253–ख, मदेहगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ	सदस्य	डाक्टरी
6.	श्री नारेन्द्र प्रसाद शुक्ल	श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ल	536 / 265–क, मदेहगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ	सदस्य	व्यापार
7.	श्री सिद्धार्थ शंकर दुबे	श्री वंशराज दुबे	536 / 265–क, मदेहगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ	सदस्य	व्यापार

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति–पत्र के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं–

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

सत्य प्रतिलिपि

28.08.2002

Secretary

Scanned by CamScanner

संशोधित नियमावली

1	संस्था का नाम	रामेश्वरम एजुकेशनल सोसाइटी
2	संस्था का पूरा पता	गोविन्दपुरम, निकट सेवा अस्पताल, सीतापुर रोड, लखनऊ।
3	संस्था का कार्यक्षेत्र	सम्पूर्ण भारत वर्ष
4	संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग	
	सदस्यता	वे सभी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, संस्था के नियमों/उपनियमों में विश्वास रखता हो, एक लिखित प्रार्थना पत्र अध्यक्ष के पास देकर उसकी अनुमति के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमाकर सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
	आजीवन सदस्य	जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में कम से कम 50000/– रूपये नगद या उतने ही मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति प्रदान करेगा व संस्था के आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
	सामान्य सदस्य	कोई व्यक्ति संस्था की उन्नति के लिए रू0 5000/– वार्षिक चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।
5	सदस्यता की समाप्ति	1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल या दिवालिया हो जाने पर। 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर। 4. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर। 5. त्यागपत्र या 2/3 के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। 6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। 7 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6	संस्था के अंग	(अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति
7	साधारण सभा	
	(अ) गठन	साधारण सभा का गठन आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।
	(ब) बैठक	साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती हैं।
	(स) सूचना अवधि	साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।
	(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि	साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा तय की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

Rameshwaram Educational Society * Lucknow * Secretary

Scanned by CamScanner

(द) गणपूर्ति — साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थित गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी। परन्तु गणपूर्ति न होने पर एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक के लिए गणपूर्ति का कोई भी प्रतिबन्ध न होगा। यदि विचारणीय विषय न बदले जाएं।

(र)साधारण सभा के अधिकार एवम् कर्तव्य
1, प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2, संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3, संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4, संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना जो साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।

8 प्रबन्धकारिणी समिति

(अ) गठन — साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–एक, मंत्री–एक कोषाध्यक्ष–एक, सदस्य–तीन होगें। इस प्रकार कुल संख्या सात होगी।

(ब) बैठकें — प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स)सूचना अवधि — प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों व पदाधिकारियों को कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेंगी।

(द) गणपूर्ति — प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी परन्तु गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी बैठक के लिए गणपूर्ति का कोई प्रतिबन्ध न होगा।

(घ) रिक्त स्थान की पूर्ति — प्रबंधकारिणी समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारणसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल के लिए जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

Rameshwaram Educational Society
Secretary
Lucknow

Scanned by CamScanner

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवम् कर्तव्य

1. संस्था के विकास के लिये आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, सेवामुक्ति एवं निलम्बन आदि करना।
5. समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगो के उत्थान हेतु खादी तथा ग्रमोद्योग का उत्पादन एवं विक्रय करना तथा प्राप्त धन को उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यो में खर्च करना। उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग, समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, सूडा, ड्याकरा, सिपसा, यूनीसेफ, रेडक्रास, सेफ इंडिया अल्प संख्यक आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम, श्रम मंत्रालय वित्त पोषक संस्थाएं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओं से दान, अनुदान व आर्थिक सहायता के रूप में ऋण व धन के रूप में प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।
6. क्षेत्र में वे सभी कार्य करना जो क्षेत्र के विकास के अर्न्तगत आवश्यक हो तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की धारा 20 के अनुसार हो।
7. संस्था की उपसमितियों/शाखाओं का गठन करना और उन पर नियंत्रण रखना।

(ल) कार्यकाल

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा तथा 2 वर्ष बाद चुनाव किया जायेगा।

9. ऋण की अदायगी

उ0 प्र0 खाद्य एवं आवश्यकता वस्तु निगम तथा उ0 प्र0 ग्रामोद्योग आयोग, उ0 प्र0 वित्त निगम तथा महिला कल्याणनिगम व लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक राष्ट्रीयकृत बैंको, रिजर्व बैको तथा सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागो से कर्ज/ऋण सहायता के रूप में प्राप्त करना व आवश्यकतानुसार भूमि व सम्पत्तियों को बैंक व अन्य संस्थाओं के पास बन्धक/रेहन/विक्रय आदि करना।

10 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकर एवमृ कर्तव्य

सत्य प्रतिलिपि

Rameshwaram Educational Society * Lucknow * Secretary

Scanned by CamScanner

अध्यक्ष

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन, परिवर्तन या परिवर्धन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
5. बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
6. प्रस्ताव पारित करके संस्था को वित्तीय ऋण की सहायता उपलब्ध कराना तथा आवश्कतानुसार समय के साथ दो करोड़ रूपये ऋण की सीमा को बढ़ाने की संस्तुति करना।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

मंत्री

1. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप मे करना।
2. प्रबंधकार्यरिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय की स्वीकृति देना।
4. समस्त बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
5. संस्था के सभी अभिलेख एवं प्रपत्र सुरक्षित रखना।
6. संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।
7. संस्था में वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन एवं वेतन वृद्धि करना।
8. समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में 20,000– रूपये का खर्च करने का अधिकार होगा।
9. समस्त चल एवं अचल संपत्ति की सुरक्षा व देखरेख करना।
10. सरकार द्वारा अनुदान, सहायता एवं ऋण प्राप्त करके संस्था के विकास में लगाना।
11. सदस्यों की सदस्यता हेतु स्वीकृति देना।
12. सदस्यों द्वारा अनैतिक, कार्य करने पर वैधानिक चेतावनी देना तथा कार्यवाही करना।
13. संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
14. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

कोषाध्यक्ष

संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।

11 संस्था के नियमों एवम् विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा की जायेगी।

12 [illegible] कोष

संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

Secretary

Scanned by CamScanner

13	संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)	संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष [illegible] द्वारा कराया जायगा।
14	संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व	संस्था के द्वारा होने वाले पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी मंत्री या उनके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिसका क्षेत्र लखनऊ होगा।
15	संस्था के अभिलेख	(अ) सदस्यता रजिस्टर (ब) कार्यवाही रजिस्टर (स) स्टाक रजिस्टर (द) लेजर बुक (द) कैश बुक
16		संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।
17	शासनदेश 30–11–1991 के प्रतिबन्ध	(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा। (ख) विद्यालय की प्रबंधसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। (ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा। (घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन दिल्ली/काउन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेशन एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता समाप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा। (ड़) संस्था के शिक्षण शिक्षणेत्तर, कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... मण्डल लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

Rameshwaram Educational Society
Secretary
Lucknow

Scanned by CamScanner

(च) कर्मचारियों की सेवाशर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालायों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी।

(ज) शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन नहीं किया जायेगा।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो प्रबंधकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम (क) से (झ) तक स्वीकार हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर 1

2,

3,

4,

सत्य प्रतिलिपि

Rameshwaram Educational Society
Secretary
Lucknow

Scanned by CamScanner